न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती सीता शर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 17/2023   **दायरा दिनांकः– 23.01.2023**

RCMS No.:- 2023/137

–: अनवान :–

1. कुनाल उम्र 15 वर्ष पुत्र स्व. रामकुमार } जाति बिश्नोई निवासी लखासर
2. भावना उम्र 13 वर्ष पुत्री स्व. रामकुमार } तहसील पीलीबंगा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोजदेवी पत्नी स्व. रामकुमार वादीया संख्या 3
3. सरोजदेवी पत्नी स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

....वादीगण

बनाम

1. सायरीदेवी पत्नी स्व. हंसराज
2. इन्द्रादेवी
3. शकुन्तलादेवी
4. सुभाष

(2 से 4) } पुत्रीयां व पुत्र हंसराज; (1 से 4) } जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
6. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
7. उप–पंजीयक सूरतगढ़ ।
8. उप–पंजीयक पीलीबंगा।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 53, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादीगण
2. श्री हीरालाल बिरथलिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3,
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 30.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिस भूमि बाबत वाद प्रस्तुत किया गया हैं, वह भूमि चक 12 एल.के.एस. पटवार हल्का ढ़ाबां, भू.अभि.नि.क्षेत्र भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या नया [illegible] पुराना 55 के पत्थर नम्बर 10/282 मु.न. 15 के किला नम्बर 2/0.25[illegible]2530, 8/0.2530, 9/0.2530, 13/2/0.0890 इस खाते की [illegible] के दादा व वादीया न. 3 के ससुर व प्रतिवादी न. 1 [illegible] पुत्र सदासुख [illegible] से थी व हंसराज का स्वर्गवास हो [illegible] श्रेणी के वादी संख्या [illegible] का 1/18, 1/18, 1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या [illegible] ता 5 प्रत्येक के नाम [illegible] 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व चक 10 एल.के.एस. पटवार हल्का लखासर भू. अभि. नि.क्षेत्र लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ की जमाबंदी संवंत 2073 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्या:– 17 / 2023)

2076 के खाता संख्या नया 59 पुराना 65 के पत्थर नम्बर 9 / 282 मु.न. 9 के किला नम्बर 11 ता 23 / 1 में 3.1260 हैक्टेयर नहरी व 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में वादी संख्या 1 ता 3 का 1 / 18, 1 / 18, 1 / 18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के नाम 1 / 6, 1 / 6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली इस प्रकार से हैं:–

लाखा स्वर्गवास
↓
रामसुख स्वर्गवास
↓
सदासुख स्वर्गवास
↓
हंसराज स्वर्गवास 12.11.1984

सायरीदेवी	इन्द्रादेवी	सरलादेवी	शकुन्तलादेवी	सुभाषचन्द्र	रामकुमार
पत्नी	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्र	पुत्र
प्रति.न. 1	प्रति.न. 2	प्रति.न. 4	प्रति.न. 3	प्रति.न. 5	स्वर्गवास

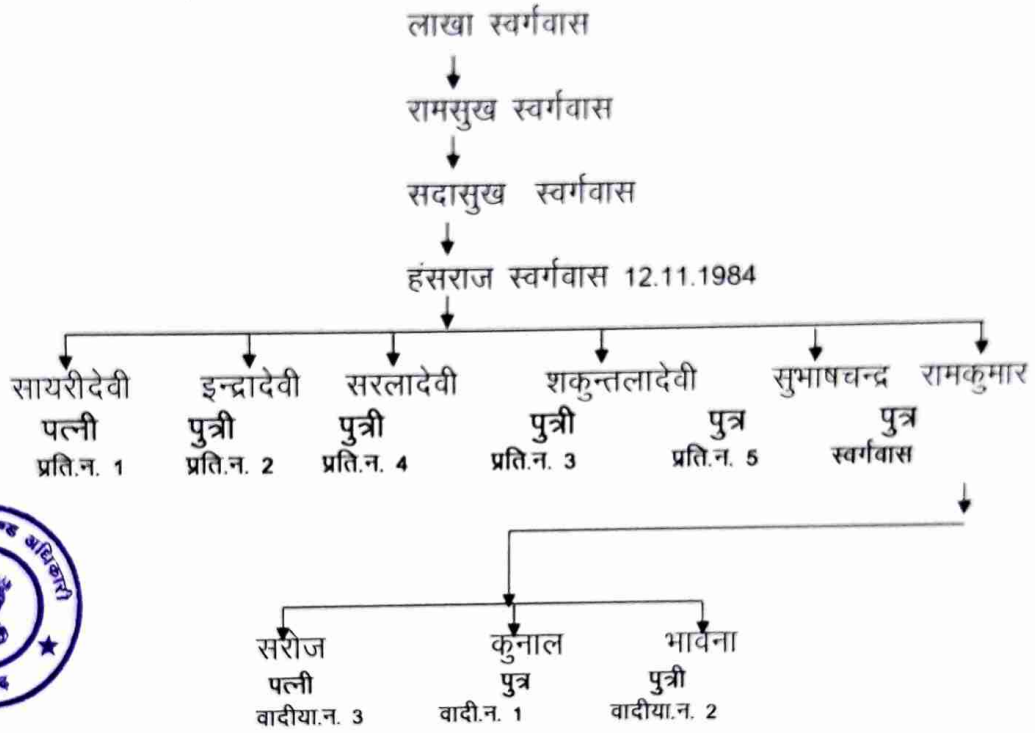

रामकुमार ↓

सरोज	कुनाल	भावना
पत्नी	पुत्र	पुत्री
वादीया.न. 3	वादी.न. 1	वादीया.न. 2

वादीगण की चौथी पीढ़ी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के तीसरी पीढ़ी के पूर्वज रामसुख पुत्र लाखा के नाम संयुक्त हिस्सा में रोही लखासर के खाता न. 13 के खसरा नम्बर 2 में 111.14 बीघा, खसरा नम्बर 1 में 38 बीघा व खाता न. 15 / 2 में 14 बीघा खाता संख्या 137 / 2 में 21.06 बीघा, खाता संख्या 14 में 121.15 +206.3+54.6+189.14 बीघा कुल 572.01 बीघा रकबा खातेदारी दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी। रामसुख के स्वर्गवास होने पर यह रकबा विरासतन उनके पुत्रों महराम–भगवाना व सदासुख के नाम से आ गया। जैरवाद रकबा चकबंदी में आने के बाद में रोही लखासर के चक 10 एल.के.एस. के खाता संख्या 11 / 3 के खसरा नम्बर 201 / 2, 235, 236, 280 / 3 कुल चार खसरों की 151.14 बीघा भूमि सदासुख के स्पर्गवास के बाद विरासतन शिवराज, हनुमान, रामनारायण व वादीगण के दादा व प्रतिवादी न. 1 ता 5 के पौत व पिता हंस[illegible]षचन्द्र के नाम से चक 10 एल.के.एस. के पत्थर नम्बर 8 / 281(6) के किला [illegible] 14 व 18 ता 23 में 10.06 बीघा, पत्थर नम्बर 9 / 282(10) किला [illegible] बीघा पत्थर नम्बर 8 / 282(11) किला नम्बर 1 ता 25 में [illegible] / 282(12) किला नम्बर 1, 2, 9 ता 13, 19 ता 21 में 8.16 बीघा, पत्थर नम्बर [illegible] / 283(18) किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा, पत्थर नम्बर 9 / 383(19) किला नम्बर 1 ता 25 की 24 बीघा, पत्थर नम्बर 10 / 282(9) किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12, 13, 19 की 7 बीघा, पत्थर नम्बर 7 / 383(17) किला नम्बर 1 ता 25 की 24 बीघा इस प्रकार इस खाते की 151.14

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 17/2023)

बीघा, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी न. 1 ता 5 के दादा/पति/पिता के 151.14 बीघा में 1/5 वां हिस्सा में करीब 30.9 बीघा भूमि आयी। मौजूदा जैरवाद भूमि जो पहले संयुक्त खाते में चक 10 एल.के.एस. में थी उसकी आपस में घरू बंटवारा करने पर वादीगण के दादा/ससुर व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पति व पिता हंसराज को चक 10 एल.के.एस. के पत्थर नम्बर 9/282 मु.न. 9 किला नम्बर 11 ता 23/1 में 3.126 हैक्टेयर नहरी व 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता व पत्थर नम्बर 10/282 मु.न. 15 का किला नम्बर 2,3, 8, 9, 13/2 में 1.1010 हैक्टेयर में दर्ज हुई व संवंत 2035 में भूप्रबन्धक विभाग के सर्वे में पत्थर नम्बर 10/282 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 13/2 की 1.1010 हैक्टेयर भूमि, चक 12 एल.के.एस. में चली गयी व बाकी हंसराज का हिस्सा एल.जी.डब्ल्यू. चक मे चला गया जिसका कोई विवाद नहीं हैं। हंसराज के स्वर्गवास हो जाने पर चक 10 एल.के.एस. की 3.1260 हैक्टेयर नहरी व 0.500 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता की भूमि का विरासतन इन्तकाल उनके छः जायज वारिसों के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा का दर्ज हो गया। जिसकी चालू जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 खाता संख्या 59/65 व चक 12 एल.के.एस. की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 खाता संख्या 82/55 की 1.1010 हैक्टेयर वादीगण 1 , 2 के दादा व प्रतिवादी न. 1 के पति व 2 ता 5 के पिता हंसराज पुत्र सदासुख के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिनके स्वर्गवास के बाद मे वादीगण के नाम 1/18, 1/18, 1/18 हिस्सा मे व प्रतिवादीगण न. 1 ता 5 के नाम 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा में प्रत्येक के नाम दर्ज हो गई। जो हंसराज को अपने पिता सदासुख से विरासतन प्राप्त होने से पैतृक भूमि की श्रेणी में आती हैं। हंसराज के नाम से जो जैरवाद भूमि है वह भूमि पैतृक थी जो हंसराज को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई होने से वादीगण के पिता/पति रामकुमार व प्रतिवादी न. 5 सुभाष का जन्म लेते ही जैरवाद भूमि में उनका 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा का हक कानूनी रूप से पैदा हो गया था यानि हंसराज के जीवनकाल में ही उनके नाम की जैरवाद भूमि चक 10 एल.के.एस. व चक 12 एल.के.एस. में तीन हिस्सेदार हो गये, 1/3 वादीगण के पिता/पति रामकुमार व 1/3 हिस्सा हंसराज के पुत्र सुभाष प्रतिवादी न. 5 व 1/3 हिस्सा दादा/पिता हंसराज का रहा व हंसराज के 1/3 हिस्सा का हक उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके सभी छः वारिस पत्नी, दो पुत्र व तीन पुत्रीयों में विरासतन समाहित हो गया परन्तु राजस्व रिकार्ड चक 10 एल.के.एस. व 12 एल.के.एस. की भूमि में विरासतन इन्तकाल हंसराज की पत्नी व दो पुत्रों व तीन पुत्रीयों का ब.हि.ब. 1/6, 1/6 दर्ज हो गया जो कानून सम्मत नहीं हैं, बल्कि इस कुल भूमि चक 10 एल.के.एस. की 3.1760 हैक्टेयर में पहले दो पुत्रों व पिता हंसराज का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा यानि प्रत्येक को 1.058 हैक्टेयर भूमि हिस्सा में आयी व 1.058 हैक्टेयर में हंसराज के 6 वारिसों को प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्सा की भूमि विरासतन में प्राप्त होने से वादीगण को 0.176 हैक्टेयर भूमि आने से इस चक में वादीगण को 1.058 + 0.176 = 1.234 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार से चक 12 एल.के.एस. में 1.1010 हैक्टेयर भूमि में दोनो पुत्रों व हंसराज पिता का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा प्रत्येक का 0.3670 हैक्टेयर भूमि हिस्सा में आयी व हंसराज का 0.3670 हैक्टेयर का स्वर्गवास में उनके छः वारिसों को 1/6, 1/6 हिस्सा विरासतन और आम से वादीगण को 0.3670+0.0611 =0.4281 हैक्टेयर का हकदार घोषित किया जावे। हक घोषित करवाने के लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं जो कानून सम्मत होने से काबिल स्वीकार्य हैं व चक 10 एल. के.एस. में खाता संख्या 59/65 का रकबा प्रतिवादीगण के नाम 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ हैं वो वादी के हको तक निष्प्रभावी हैं, चूंकि नाम से उनके हक से ज्यादा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 17/2023)

रकबा दर्ज हो गया हैं जो वादीगण के पिता/पति व वादीगण के हको पर निष्प्रभावी हैं। प्रतिवादीया न. 4 ने चक 12 एल.के.एस. की भूमि का हकत्याग वादीगण के पिता/पति रामकुमार व प्रतिवादी न. 5 सुभाष के पक्ष में हकत्याग करके अधिक दर्ज हिस्सा पूरा कर दिया हैं। अन्य प्रतिवादीगण को भी वादीगण का हक पूरा करना चाहिए। वाद पत्र स्वीकार करते हुए चक 10 एल.के.एस. की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 59/65 के पत्थर नम्बर 9/282(9) के 3.1620 नहरी व 0.0500 हैक्टेयर रास्ता में वादीगण के पिता/पति रामकुमार का अपने पिता के जीवनकाल से ही 1/3 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उतनी ही भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व शेष हंसराज का जो 1/3 हिस्सा शेष रहा, हंसराज के स्वर्गवास के बाद इसमें 1/3 हिस्सा में वादीगण का 1/3 हिस्सा व सुभाषचन्द्र प्रतिवादी भी अपने पिता के जीवनकाल में प्राप्त होने वाले हिस्सा की घोषणा करवाना चाहे तो वह स्वतन्त्र हैं। प्रतिवादी न. 1 ता 4 के नाम से जो चक 10 एल.के.एस. की भूमि में हक से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी हैं वह कम की जावे। चक 12 एल.के.एस. की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 82/55 के पत्थर नम्बर 10/282(15) की 1.101 हैक्टेयर भूमि पैतृक होने से वादीगण के पिता/पति रामकुमार का अपने पिता की भूमि में उनके जीवनकाल में 1/3 हिस्सा का हकदार घोषित किया जावे व हंसराज के स्वर्गवास के बाद मे उनके हिस्सा की शेष 1/3 हिस्सा में वादीगण के पिता/पति को 1/6 वां हिस्सा घोषित किया जाकर वादीगण को कुल भूमि 1.1010 हैक्टेयर में वादीगण को 1/3 हिस्सा + 1/3 हिस्सा में 1/6 वां हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। रामकुमार को उपरोक्त प्राप्त होने वाले हिस्सा को वादीगण के नाम ब.हि.ब. घोषित कर दर्ज किये जाने की डिक्री जारी की जावे। उक्तवर्णित हिस्सा अनुसार ही वादीगण का घरूली बंटवारा अनुसार चक 10 एल.के.एस. पटवार हल्का लखासर तहसील पीलीबंगा के पत्थर नम्बर 9/282 मु.न. 9 के किला नम्बर 11/0.126, 12/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.105, 17/0.105, 18/0.105, 19/0.105, 20/0.104 = 1.662 हैक्टेयर मय रास्ता खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं व इस अनुसार ही हक बनता हैं तथा अपने नाम से खाता विभाजन में यही रकबा घोषित करवाना चाहते हैं। चक 12 एल.के.एस. की भूमि पहले 10 एल.के.एस. तहसील सूरतगढ़ मे ही थी परन्तु अब यह पत्थर चक 12 एल.के.एस. में चला गया हैं परन्तु चक 10 एल.के.एस. की भूमि अधिक है, पक्षकार समान हैं इसलिए सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार दावा इस अदालत में प्रस्तुत किया जा रहा हैं ताकि पक्षकारों व अदालत का समय जगह जगह नहीं लगे व पक्षकारों के समय के साथ रूपये पैसों की भी बचत होगी। इसलिए वाद पत्र इस अदालत में कानून सम्मत ही प्रस्तुत किया जा रहा हैं जो श्रीमान जी के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र [illegible] दावा डिक्री किये जाने योग्य हैं। वादीया न. 3 ने अपने रिश्तेदारों को साथ [illegible] प्रस्तुत करने से 15 दिन पहले गांव लखासर में प्रतिवादी[illegible] बुलाई कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से [illegible] का हिस्सा हक से ज्यादा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया हैं उचित अदालत [illegible] चलकर वह हिस्सा सही करवा कर वापिस वादीगण के नाम से रिकार्ड में दर्ज करवा दे तो प्रतिवादीगण इस कथन से तो सहमत थे कि उनके नाम से हक से ज्यादा रकबा दर्ज है परन्तु वो अदालत में चलकर बयान नहीं करेगे, वो लोग(वादीगण) उचित अदालत में दावा आदि की उचित कार्यवाही करके करवा ले वो प्रतिवादीगण बयान देने अदालत मे नहीं जायेगें। प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 17/2023)

यह इन्कारी ही वाद प्रस्तुत करने का मुख्य कारण व आधार हैं। यहीं से वाद कारण पैदा हुआ हैं। स्व. हंसराज के कुल 6 वारिसों में एक पुत्री सरला देवी द्वारा जैरवाद भूमि में अपना हक त्याग कर देने से उसे पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता घ अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये परन्तु अपना लिखित कथन/जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। कई अवसर देने के उपरान्त भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 19.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जवाबदावा बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 8 बावजूद तामील हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वाद पत्र में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली रखी गई। वादीगण ने स्वंय उपस्थित होकर अपने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया व प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जिरह नहीं की गई।

बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि जैरवाद भूमि पैतृक भूमि हैं। चूंकि जैरवाद भूमि वादीगण के दादा/ससुर हंसराज को अपने पिता सदासुख से विरासतन प्राप्त हैं। हंसराज के नाम की जैरवाद पैतृक भूमि में वादीगण के पिता/पति रामकुमार व प्रतिवादी न. 4 सुभाष के जन्म लेते ही अपने पिता के जीवनकाल में ही 1/3 , 1/3 हिस्सा का हक कानूनी रूप से पैदा हो गया था। इस प्रकार वादीगण के पिता/पति स्व. रामकुमार का अपने पिता हसंराज के जीवनकाल में ही उनके नाम की जैरवाद भूमि में 1/3 हिस्सा का हक था व 1/3 हिस्सा का ही हंसराज का हक था। वादीगण के दादा हंसराज के स्वर्गवास होने के उपरान्त उनके 1/3 हिस्सा में वादीगण के पिता/पति स्व. रामकुमार का 1/6 हिस्सा विरासतन हक होने के कारण इस 1/6 हिस्सा में वादीगण विरासतन ब.हि.ब. के हकदार हैं। इसलिए जैरवाद भूमि चक 10 एल.के.एस. के खाता संख्या 59/65 की 3.1760 हैक्टेयर व चक 12 एल.के.एस. के खाता संख्या 82/55 की 1.1010 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता/पति रामकुमार का अपने पिता हंसराज के जीवनकाल में ही हक होने व हंसराज के 1/3 हिस्सा में उनके स्वर्गवास उपरान्त 1/6 हिस्सा विरासतन में वादीगण को ब0हि0ब0 का खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि जैरवाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में हंसराज की पत्नी व दो पुत्रो व तीन पुत्रीयों का ब.हि.ब. 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया जो कानून सम्मत नहीं हैं। इसलिए जैरवाद भूमि चक [illegible] हैक्टेयर में पहले दो पुत्रों व पिता हंसराज का 1/3, 1/3 हिस्सा [illegible] 1.058 हैक्टेयर भूमि हिस्सा में आयी व हंसराज के 1.058 [illegible] होने के उपरान्त विरासतन 1/6, 1/6 [illegible] के पिता रामकुमार को 0.1760 हैक्टेयर भूमि आने से कुल 1.058+0.1760 = [illegible] हैक्टेयर भूमि के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार हैं तथा इसी प्रकार चक 12 एल.के.एस. की 1.1010 हैक्टेयर में पहले 1/3 हिस्सा में 0.367 हैक्टेयर प्रत्येक का व हंसराज के 0.3670 हैक्टेयर में उनके स्वर्गवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 17/2023)

उपरान्त 1/6 हिस्सा विरासतन आने से वादीगण को 0.3670+0.0611= 0.42810 हैक्टेयर के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार हैं। इस प्रकार वादीगण दोनो चको में कुल 1.662 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार हैं जिसकी घोषणा बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण और प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा किया हुआ हैं जिसके अनुसार वादीगण उक्त वर्णित 1.662 हैक्टेयर भूमि चक 10 एल.के.एस. पटवार हल्का लखासर तहसील पीलीबंगा के पत्थर नम्बर 9/282 मु.न. 9 के किला नम्बर 11/0.126, 12/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.105, 17/0.105, 18/0.105, 19/0.105, 20/0.104 = 1.662 हैक्टेयर मय रास्ता खातेदारी भूमि में दी हुई, यही भूमि वादीगण खाता विभाजन में व अपने हको की घोषणा में प्राप्त करने के लिए सहमत हैं तथा अपने नाम से घोषित करवाना चाहते हैं। इसलिए उक्त वर्णित अनुसार दावा डिक्री किया जावे। वादीगण के अभिभाषक ने अपने कथनो के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 पेज 65, हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 का अध्याय 8 पेज 65 व आरआरडी 1990 पेज 41 कानूनी नजीरे प्रस्तुत की है। जिनके अनुसार हिन्दु उतराधिकार कानून में एक पुत्र का अपने पिता के जीवनकाल में ही पैतृक सम्पति में हक व हिस्सा निहित होता हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की तरफ से अभिभाषक श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया परन्तु दौराने बहस उपस्थित नहीं आये तथा अपना लिखित कथन/जवाबदावा भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में जिरह भी प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार चक 12 एल.के.एस. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 82/55 में 1.1010 हैक्टेयर भूमि तथा चक 10 एल.के.एस. तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 59/65 में 3.1760 हैक्टेयर भूमि हंसराज के वारिसान के नाम से दर्ज हैं। उक्त भूमि पूर्व में हंसराज के पिता सदासुख के नाम दर्ज होने के साक्ष्य के रूप में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र में संलग्न हैं। इस प्रकार जैरवाद भूमि हंसराज को विरासतन होने से पैतृक भूमि पूर्णतया साबित हैं। अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत संबंधित कानून अनुसार जैरवाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण हंसराज के दो पुत्र रामकुमार व सुभाष होने से उनके जीवनकाल में 1/3, 1/3 हिस्सा प्रत्येक का था। इस प्रकार वादीगण के पिता/पति का अपने पिता हंसराज के जीवनकाल में ही 1/3 हिस्सा जैरवाद भूमि में था तथा हंसराज के स्वर्गवास होने पर उनके 1/3 हिस्सा में विरासतन कुल छः हिस्सेदार होने से 1/3 में से 1/6 हिस्सा आ गया। इस प्रकार वादीगण का जैरवाद भूमि अपने हक की घोषणा बाबत का साबित होता हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे भी यह बात साबित होती है। प्रतिवादीगण ने भी अदालत में अपना लिखित कथन/जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही किसी प्रकार का प्रतिरोध किया जिससे यह लगता हैं कि उन्हे भी वादीगण को प्राप्त होने वाले हिस्सा से कोई एतराज नहीं है। वादीगण संख्या 1 व 2 नाबालिग हैं तथा वादीया सख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विधवा औरत हैं व अपना कानूनी हक मांग रही हैं जो इन्हें प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि वादीगण को चक 12 एल.के.एस. पटवार हल्का ढांबा तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 82/55 में पत्थर नम्बर 10/282 मु.न. 15 की 1.1010 हैक्टेयर खातेदारी तथा चक 10 एल.के.एस. पटवार हल्का लखासर तहसील पीलीबंगा के खाता सख्या 59/65 के पत्थर नम्बर 9/282 मु.न. 9 की 3.1760 हैक्टेयर दोनो चको की कुल 4.2770 हैक्टेयर में से कुल 1.662 हैक्टेयर भूमि का ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाकर काश्त की सुविधा अनुसार चक 10 एल.के.एस. पटवार हल्का लखासर तहसील पीलीबंगा के पत्थर नम्बर 9/282 मु.न. 9 के किला नम्बर 11/0.253, 12/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.073(उतरीपासा), 17/0.081(उतरीपासा), 18/0.081(उतरीपासा), 19/0.081(उतरीपासा), 20/0.081(उतरीपासा) = 1.662 हैक्टेयर मय रास्ता खातेदारी भूमि वादीगण के नाम से ब.हि.ब. दर्ज कर खाता अलग करने की डिक्री जारी की जाती हैं। वादीगण के नाम से ज्यादा दर्ज होने वाली भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्सा में से समान रूप से कम की जावे तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा संयुक्त रखा जाता हैं तथा चक 12 एल.के.एस. पटवार हल्का ढांबा तहसील सूरतगढ़ के खाता सख्या 82/55 में पत्थर नम्बर 10/282 मु.न. 15 की 1.1010 हैक्टेयर खातेदारी की जमाबंदी में से वादीगण का नाम कलमजन किया जाता हैं एवं वादीगण के हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्सा में समान रूप से दर्ज की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ व तहसीलदार पीलीबंगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को सुनाया गया।

(श्रीमती सीता शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – श्रीमती सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. कुनाल उम्र 15 वर्ष पुत्र स्व. रामकुमार } जाति बिश्नोई निवासी लखासर
2. भावना उम्र 13 वर्ष पुत्री स्व. रामकुमार} तहसील पीलीबंगा नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोजदेवी पत्नी स्व. रामकुमार वादीया संख्या 3
3. सरोजदेवी पत्नी स्व. रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

....वादीगण

बनाम

1. सायरीदेवी पत्नी स्व. हंसराज
2. इन्द्रादेवी
3. शकुन्तलादेवी
4. सुभाष

} पुत्रीयां व पुत्र हंसराज } जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
6. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
7. उप–पंजीयक सूरतगढ़ ।
8. उप–पंजीयक पीलीबंगा।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 17 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 श्री हीरालाल बिरथलिया एवं राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि वादीगण को चक 12 एल.के.एस. पटवार हल्का ढांबा तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 82/55 में पत्थर नम्बर 10/282 मु.न. 15 की 1.1010 हैक्टेयर खातेदारी तथा चक 10 एल.के.एस. पटवार हल्का लखासर तहसील पीलीबंगा के खाता सख्या 59/65 के पत्थर नम्बर 9/282 मु.न. 9 की 3.1760 हैक्टेयर दोनो चको की कुल 4.2770 हैक्टेयर में से कुल 1.662 हैक्टेयर भूमि का ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाकर काश्त की सुविधा अनुसार चक 10 एल.के.एस. पटवार हल्का लखासर तहसील पीलीबंगा के पत्थर नम्बर 9/282 मु.न. 9 के किला नम्बर 11/0.253, 12/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.073(उतरीपासा), 17/0.081(उतरीपासा), 18/0.081(उतरीपासा), 19/0.081(उतरीपासा), 20/0.081(उतरीपासा) = 1.662 हैक्टेयर मय रास्ता खातेदारी भूमि वादीगण के नाम से ब.हि.ब. दर्ज कर खाता अलग करने की डिक्री जारी की जाती हैं। वादीगण के नाम से ज्यादा दर्ज होने वाली भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्सा में से समान रूप से कम की जावे तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा संयुक्त रखा जाता हैं तथा चक 12 एल.के.एस. पटवार हल्का ढ़ांबा तहसील सूरतगढ़ के खाता सख्या 82/55 में पत्थर नम्बर 10/282 मु.न. 15 की 1.1010 हैक्टेयर खातेदारी की जमाबंदी में से वादीगण का नाम कलमजन किया जाता है एवं वादीगण के हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्सा में समान रूप से दर्ज की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ व तहसीलदार पीलीबंगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद करें।

नोज.......... × .... मुकदिमा .... × .... × ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ...... × .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30.05.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(श्रीमती सीता शर्मा)
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.31 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested